मिसल नम्बर 73/2019
निर्णय दिनांक 03-10-2019

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- कृष्ण सिंह (RTS)
मिसल नम्बर :- 73/2019

सरकार

बनाम

घीसाराम पुत्र हीरराम जाति माली निवासी ढ़ाणी बगड़िया तन् नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी

..................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट-1956)

दिनांक :- 03-10-2019

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल स्वयं उपस्थित। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का **राजोता** के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि राजस्व ग्राम **चिरानी** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 815/40 रकबा 0.10 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.10 हेक्टेयर पर व खसरा नम्बर 816/40 रकबा 0.22 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.22 हेक्टेयर पर जोत लगाकर गैर सायल ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल ने जबाब नोटिस इस आशय का पेश किया है कि ग्राम चिरानी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 815 रकबा 0.10 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़, खसरा नम्बर 816/40 रकबा 0.22 हेक्टेयर पर प्रार्थी का कब्जा होना बताया है। जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थी के दादा के समय से करीब 50-60 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को काफी मेहनत व खर्चे से काबिले काश्त योग्य बनाया है और उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि से सटती हुई भूमि है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर काफी मेहनत व खर्चे से पेड़ लगाये है। और प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी के पास जमीन की कमी है तथा प्रार्थी अपने परिवार का लालन पोषण इसी भूमि से करता है। तथा प्रार्थी ने उक्त भूमि के चारो तरफ बाड़ कर रखी है और प्रार्थी के पास 5-6 पशु है जो उक्त भूमि में ही चारा खाते है। प्रार्थी की आर्थिक स्थिति कमजोर है।

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू

Scanned by CamScanner

इस प्रकार प्रार्थी अपने परिवार का भरण–पोषण भी उक्त भूमि से ही करता है। इस प्रकार उक्त भूमि का प्रार्थी के हक में नियमन योग्य है।

अतः जबाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि का प्रार्थी के हक में नियमन करने की सिफारिश किये जाने की कृपा करें।

गैर सायल को सुना गया। गैर सायल ने प्रश्नगत भूमि की गैर सायल के पक्ष में नियमन की सिफारिश किये जाने का निवेदन किया।

गैर सायल ने प्रश्नगत राजकीय भूमि पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण की बाबत पुराना कब्जा होने की ताईद में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है।

पत्रावली पर उपलब्ध जबाब नोटिस धारा 91 व पटवारी हल्का राजोता की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल ने राजस्व ग्राम **चिरानी** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 815/40 रकबा 0.10 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.10 हेक्टेयर पर व खसरा नम्बर 816/40 रकबा 0.22 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.22 हेक्टेयर पर जोत लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। प्रश्नगत भूमि की किस्म गैर मुमकीन पहाड़ है जिसका निजी प्रयोजनार्थ आवंटन नहीं किया जा सकता। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 में भी किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के निजी आवंटन/नियमन की बाबत भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का राजोता की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का राजोता के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम **चिरानी** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 815/40 रकबा 0.10 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.10 हेक्टेयर पर व खसरा नम्बर 816/40 रकबा 0.22 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.22 हेक्टेयर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 01 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का **राजोता** से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की प्रश्नगत भूमि से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03–10–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज.) ★ सत्यमेव जयते

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner